प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख उर्फ अखलाख पुत्र मो0 हुसैन, निवासी जनपद-प्रयागराज की इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-130/प्रो0(6)/11/2024/ई0रोल दिनांक 01.01.2025) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख उर्फ अखलाख पुत्र मो0 हुसैन, निवासी जनपद-प्रयागराज, खुदाबक्श का पूरा, थाना-नवाबगंज, जनपद-प्रयागराज, हाल पता-84 मंसूराबाद से इलाहाबाद रोड़, निकट मस्जिद, खुदाबक्श का पुरा, सिंगरौर, उपरहार मंसूराबाद, थाना-नवाबगंज, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। (1) बंदी द्वारा दिनांक 17.10.1994 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर आम की डाल को लेकर आपसी विवाद होने के कारण वादी के भाई मो0 जुबैर व अहमद रजा की बम व पिस्टल से हत्या कर दी। (2) पुनः उक्त बंदी द्वारा दिनांक 07.02.1992 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादी के पुत्र विनोद कुमार बम से हमला कर हत्या कारित की। (3) पुन: उक्त बन्दी द्वारा दिनाक-27.06.1997 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण बन्दूक से गोली मारकर जमीलुद्दीन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-299/95 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश दिनाक 01.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-435/1996 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149,120बी व 3 ई0एक्स0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-655/03 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायालय के आदेश दिनाक 08.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (1) बन्दी द्वारा दिनांक 05.04.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष 07 माह 09 दिन एवं 19 वर्ष 09 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। (2) बन्दी द्वारा दिनांक 05.04.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 04 दिन एवं 14 वर्ष 01 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। (3) बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2020 तक अपरिहार 18 वर्ष 03 माह 21 दिन एवं 23 वर्ष 00 माह 06 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार का अभिमत है कि विगत 04 वर्ष पूर्व किये गये मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति/रिपोर्ट में अंकित की गयी बीमारी वर्तमान में और विकट होने का कोई प्रमाण नही है और बंदी वर्तमान में जमानत पर बाहर होने के कारण चिकित्सा उपचार कराये जाने में बंदी को कोई कठिनाई नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त प्रयागराज द्वारा उक्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। अतएव उपरोक्त समग्र तथ्यों के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी एकलाख उर्फ अखलाख पुत्र मो0 हुसैन की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख उर्फ अखलाख (बन्दी सं0-4932/06) पुत्र श्री मो0 हुसैन, निवासी जनपद-प्रयागराज की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-196 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-196/2025/01(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।